न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2020/140

भंवर लाल आत्मज रामनाथ जाति मीणा निवासी ग्राम जोधपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. गंगा बाई पत्नी शम्भूदयाल पुत्री भैरूलाल जाति मीणा आयु 58 वर्ष निवासी रंगवाडी खडे गणेश जी रोड ज्योतिबा स्कूल की गली गणेश नगर कोटा ।
2. रामलाल दत्तक पुत्र भैरूलाल जाति मीणा निवासी ग्राम बक्शपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री दयाराम सेन, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री तेजमल जैन, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 01 की ओर से।

निर्णय दिनांकः 29.09.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.06.2009 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादिनी रेस्पोडेन्ट कम 01 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 एवं 53 (2) के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम बक्शपुरा तहसील लाडपुरा में कुल 06 किता की रकबा 6.10 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि पूर्व में रामनाथ पिता कंवरलाल हिस्सा 1/2 एवं भैरू हिस्सा 1/2 के खाते में थी । दोनों ने अपने जीवनकाल में उक्त भूमि का आपसी सहमति से विभाजन कर लिया और वे विभाजन के अनुसार अपने–अपने हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं । वादी ने अपने हिस्से की भूमि पर फसल बोई थी जिसे प्रतिवादी ने नष्ट कर दिया एंव वादी के आधे हिस्सें पर अनाधिकृत एवं अवैध रूप से कब्जा कर फसल बो दी जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं था । उक्त भूमि पर प्रतिवादी अनाधिकृत रूप जबरन ताकत के बल

पर कब्जा करने पर अमादा हैं । वादी को अधिकार है कि वह प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करावे और वादग्रस्त आराजी का विधिवत विभाजन करावे ।

3. अतः वाद वादिनी स्वीकार किया जाकर वादिनी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि प्रतिवादीगण वादिनी के कब्जे काश्त की आराजी में उनके कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करें । वादग्रस्त आराजी का विधिवत विभाजन किया जावे तथा वादी को विभाजन में प्राप्त भूमि वादी के पृथक खाते में दर्ज की जाकर पृथक लगान कायम किया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 04.06.2009 के द्वारा वाद वादिनी स्वीकार कर विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री पारित की ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.06.2009 से व्यथित होकर प्रतिवादी कम 01 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने अपीलान्ट को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना रेस्पोडेन्ट के पक्ष में डिक्री पारित कर दी । पक्षकारान जाति से मीणा हैं जिन पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होता है । भैरूलाल जी के गंगा बाई, सुखीबाई, ढाली बाई पुत्रियॉ हैं पुत्र नहीं होने से भैरूलाल जी द्वारा रेस्पोडेन्ट कम 02 को गोद ले लिया और जीवन पर्यन्त रेस्पोडेन्ट कम 02 भैरूलाल जी के साथ रहा व उनके स्वर्गवास के बाद भैरूलाल जी की सम्पत्ति का रेस्पोडेन्ट कम 02 उपयोग व उपभोग करता चला आ रहा है । रामनाथ जी के स्वर्गवास के बाद सहवन से रेस्पोडेन्ट कम 02 का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जो अवैधानिक है । रेस्पोडेन्ट कम 02 द्वारा पूर्व में भी सिविल न्यायालय में दत्तक के सम्बन्ध में भैरूलाल जी की आराजी को प्राप्त करने हेतु कार्यवाही की । उक्त तथ्य को छुपाकर एक पक्षीय वाद डिक्री करवा लिया जो त्रुटिपूर्ण है। वादग्रस्त आराजी में 1/2 हिस्से पर अपीलान्ट काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है । रेस्पोडेन्ट का उक्त भूमि पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.06.2009 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना निर्णय एवं डिक्री पारित की है । उक्त निर्णय एवं डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 03.09.2020 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होने पर हुई जिस अपीलान्ट द्वारा नकल हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया और दिनांक 17.09.2020 को नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज दर्ज रजिस्टर की गईं । परीक्षण न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना रेस्पोडेन्ट के पक्ष में आदेश एवं डिक्री प्रदान की है । इस तथ्य पर गौर नहीं किया है कि पक्षकारान जाति से मीणा हैं जिन पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होते हैं । ग्राम बक्शपुरा तहसील लाडपुरा स्थित आराजी में भैरूलाल के गंगा बाई, सुखी बाई एवं डाली बाई पुत्रियॉ हैं, पुत्र नहीं होने के भैरूलाल के द्वारा रेस्पोडेन्ट क्रम 02 को गोद लिया था और जीवनपर्यन्त रेस्पोडेन्ट क्रम 02 भैरूलाल के साथ रह कर भैरूलाल की सेवा–सुश्रुषा करता रहा फिर उनके स्वर्गवास के पश्चात् रेस्पोडेन्ट क्रम 02 के द्वारा पूर्व में अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश क्रम 4 में भी भैरूलाल की आराजी को प्राप्त करने की कार्यवाही की थी । इस तथ्य को छुपाकर दावा पेश किया गया है । ग्राम बक्शपुरा तहसील लाडपुरा स्थित आराजी के 1/2 हिस्से पर अपीलान्ट काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है । रेस्पोडेन्ट क्रम 01 का कभी कब्जा नहीं रहा है। रेस्पोडेन्ट क्रम 01 का विवाह हो जाने पर और रेस्पोडेन्ट क्रम 02 के गोद चले जाने के कारण उनका कोई अधिकार एवं स्वत्व नहीं है । कमली बाई और दाखां बाई द्वारा हक त्याग कर दिया गया है इसलिए उनको पक्षकार नहीं बनाया गया है । अपीलान्ट को परीक्षण न्यायालय के द्वारा सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.06.2009 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट को विधि सम्मत रूप से नोटिस जारी किये गये थे । अपीलान्ट परीक्षण न्यायालय में उपस्थित भी हुए हैं इसके उपरान्त उनके उपस्थित नहीं आने पर उनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की गई है । गोद का प्रश्न तय करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है वरन् सिविल न्यायालय को है । परीक्षण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.06.22009 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । अपीलान्ट के द्वारा परीक्षण न्यायालय के निर्णय दिनांक 04.06.2009 से अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की है । परीक्षण न्यायालय में वादिनी गंगाबाई के द्वारा एक दावा प्रतिवादीगण के खिलाफ पेश किया गया है जिसमें अपीलान्ट प्रतिवादी क्रम 01 है । दावा विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का है । दावे में अपीलान्ट बाद तामील परीक्षण न्यायालय में दिनांक 02.02.2009 को उपस्थित हुए हैं और इसके उपरान्त उपस्थित नहीं आने पर उनके खिलाफ दिनांक 24.04.2009 को एक तरफा कार्यवाही की गई है और दिनांक 04.06.2009 को विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई है ।

11. परीक्षण न्यायालय की पत्रावली पर संलग्न नकल जमाबन्दी संवत् 2063–66 के अनुसार कुल 06 किता की 6.10 हैक्टर आराजी रामनाथ पिता कंवर लाल हिस्सा 1/2, गंगा, डाली, सुखी पुत्रियॉ भैरूलाल हिस्सा 1/2 दर्ज है और इसमें नामान्तरकरण संख्या 108 का नोट अंकित है जिसके अनुसार रामनाथ पुत्र कंवरलाल के स्थान पर भंवर लाल, रामलाल, कल्याणी बाई, दाखां बाइ, कमली बाई पुत्रियॉ और लटूर बाई बेवा का नाम दर्ज किया गया है । नामान्तरकरण संख्या 124 के अनुसार डाली और सुखी पुत्रियॉ भैरूलाल के स्थान पर गंगा बाई का नाम दर्ज किये जाने के आदेश हुए हैं ।

12. परीक्षण न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन निर्णय में विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री पारित करते हुए वादिनी के 1/2 हिस्से को पृथक से दर्ज करने का आदेश पारित किया है । अपीलान्ट ने सन् 2009 में पारित निर्णय एवं डिक्री के खिलाफ अपील सन् 2020 में पेश की है जो 11 वर्ष के विलम्ब से पेश की है । विलम्ब के लिए जो धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेा किया है उसमें दिनांक 03.09.2020 को जानकारी होने का कथन किया है जबकि परीक्षण न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 02.02.2009 के अनुसार भंवर लाल परीक्षण न्यायालय में उपस्थित हुए हैं । इस प्रकार अपीलान्ट ने धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण दर्शित किये हैं वो तथ्यों के विपरीत हैं । जब वो दिनांक 02.02.2009 को परीक्षण न्यायालय में उपस्थित हुए हैं तो ऐसी स्थिति में उनका यह कथन कि परीक्षण न्यायालय के निर्णय की उनको जानकारी नहीं थी तर्क संगत नहीं है । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम को स्वीकार करना हम उचित नहीं समझते हैं । यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि वादिनी गंगा बाई का राजस्व रिकॉर्ड में 1/2 हिस्सा दर्ज है जिसके अनुसार विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई है । अपीलान्ट रामलाल के गोद जाने का कथन करते हैं यदि रामलाल गोद गया था तो इसके लिए पृथक से सिविल न्यायालय में कार्यवाही कर सकते हैं । इन तथ्यों के आधार पर हम परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट गंभीर रूप से अवधि बाधित होने एवं सारहीन होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 04.06.2009 बहाल रखा जाता है ।

14. निर्णय आज दिनांक 29.09.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

29/9/2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

Judl/Govt.
Parrt 1V - B

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 2020/140

भंवर लाल आत्मज रामनाथ जाति मीणा निवासी ग्राम जोधपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

——अपीलार्थी

बनाम

1. गंगा बाई पत्नी शम्भूदयाल पुत्री भैरूलाल जाति मीणा आयु 58 वर्ष निवासी रंगवाडी खडे गणेश जी रोड ज्योतिबा स्कूल की गली गणेश नगर कोटा ।
2. रामलाल दत्तक पुत्र भैरूलाल जाति मीणा निवासी ग्राम बक्शपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.06.2009 अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, कोटा जिला कोटा ।

वाद संख्याः 57/दावा/2009

गंगा बाई पत्नी शम्भूदयाल पुत्री भैरूलाल जाति मीणा आयु 58 वर्ष निवासी रंगवाडी खडे गणेश जी रोड ज्योतिबा स्कूल की गली गणेश नगर कोटा ।

——वादी

बनाम

1. भंवर लाल आत्मज रामनाथ जाति मीणा निवासी ग्राम जोधपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

2. रामलाल दत्तक पुत्र भैरूलाल जाति मीणा निवासी ग्राम बक्शपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
3. श्रीमती कल्याण बाई पत्नी श्री रामगोपाल निवासी केशवपुरिया थाना मण्डाना उप तहसील मण्डाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
4. श्रीमती कमली (किमली) बाई पत्नी जगदीश निवासी जोधपुरा थाना मण्डाना उप तहसील मण्डाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
5. श्रीमती दाखां बाई पत्नी बृजमोहन निवासी केशवपुरिया थाना मण्डाना उप तहसील मण्डाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
6. श्रीमती लटूर बाई बेवा स्व0 रामनाथ निवासी जोधपुरा थाना मण्डाना उप तहसील मण्डाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय सहायक कलक्टर, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.06.2009 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 29.09.2021 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री दयाराम सेन एवं रेस्पोडेन्ट क्रम 01 की ओर से अभिभाषक श्री तेजमल जैन के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट गंभीर रूप से अवधि बाधित होने एवं सारहीन होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 04.06.2009 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 29.09.2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

29/9/21

(भागवती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा